23/02/15

वादिनी वादी गैरहाजिर। वादिनी वादी व वादी के अधिवक्ता पिछले कई बार बार अवसर दिलाने के बावजूद न्यायालय समय तक हाजिर नहीं होने के बाद वादी अपना पक्ष अथवा साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु जाने के अवसर दिया जाता है। मिसल फोरन शुमार हो।

उप

उपखण्ड अधिकारी
दातारामगढ़